

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2013/कार्तिक 23, 1935

No. 290]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2013/KARTIKA 23, 1935

**देना बैंक**

(प्रधान कार्यालय)

**अधिसूचना**

मुंबई, 11 नवम्बर, 2013

सं. आईआर/एएमईएनडी/02/2013.—बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देना बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के बाद तथा केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ, देना बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद निजी सेक्टर की कंपनी में कार्य की स्वीकृति) विनियम, 2000 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को देना बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद निजी सेक्टर में कार्य की स्वीकृति) संशोधन अधिनियम, 2013 कहा जाएगा।

(2) यह विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. देना बैंक कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद निजी सेक्टर में कार्य की स्वीकृति) विनियम, 2000 के विनियम 4 में, उप विनियम (1), में "दो वर्ष" शब्द के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द स्थापित होगा।

एस. सरकार, महाप्रबंधक (एच.आर.एम.)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/130/13]

पाद टिप्पणी :— प्रधान विनियम भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4, दिनांक 27.10.2001 में अधिसूचना संख्या 43 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**DENA BANK**

(HEAD OFFICE)

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 11th November, 2013

**No. IR/AMEND/02/2013.**—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Board of Directors of Dena Bank after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Dena Bank Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Regulations, 2000, namely :—

1. (1) These regulations may be called Dena Bank Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector after Retirement) Amendment Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 4 of the Dena Bank Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector after Retirement) Regulations, 2000, in sub-regulation (1), for the words "two years", the words "one year" shall be substituted.

S. SARKAR, General Manager (HRM)

[ADVT. III/4/Exty./130/13]

**Foot Note :—** The Principal Regulations were published in the Gazette of India *vide* notification No. 43 published in the Gazette of India Part III, Section 4, dated 27.10.2001.